# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607


क्रमांक : 482/अका./का.प/2021 रायपुर, दिनांक 25/11/2021

## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की इकसठवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 03.12.2021 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।** **(पृष्ठ क्र 1 से 7 तक)**

टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

**वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–**

3. **विश्वविद्यालय अधिकारी, तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के सातवें वेतनमान का निम्नानुसार भुगतान की सूचना ग्रहण करना –**

| | |
|---|---|
| **दिनांक – 01.01.2016 से 31.03.2017** | **रु. 2,01,94,396 (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त)** |
| **दिनांक – 01.07.2018 से 31.08.2018** | **रु. 26,93,820 (दो माह)** |
| **योग –** | **रु. 2,28,88,216** |

**टीप :** (i) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2018 के पद क्रमांक 4 पर लिए गए निर्णय –

"छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के वित्त निर्देश 50/2018, पत्र क्र. 788/F-01002199/L-11-2/ब–4/चार दिनांक 05.09.2018 को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालयीन अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (7वाँ वेतनमान) के प्रावधानानुसार दिनांक 01.01.2016 से 30.06.2018 तक काल्पनिक वेतन निर्धारण कर दिनांक 01.07.2018 से नगद भुगतान एवं छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 253/एफ–2013–04–00416/वि/नि/चार दिनांक 29.05.2018 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में स्वीकृत 05 प्रतिशत महंगाई भत्ता, जो दिनांक 01.07.2017 से देय है की स्वीकृति प्रदान की गई।"

के अनुसार विश्वविद्यालय अधिकारी एवं कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान में दिनांक 01.09.2018 से वेतनमान का भुगतान किया गया।

(ii) विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3509/सा.प्रशा./2021 दिनांक 16.11.2021 से विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक अधिकारी एवं कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से 30.06.2018 तक के कुल एरियर्स के छह किश्तों में से तीन किश्तों (जन. 2016 से मई 2016, जून 2016 से अक्टूबर 2016 तथा नवम्बर से मार्च 2017) के एरियर्स भुगतान का माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में आदेश प्रसारित किया गया।

(iii) विश्वविद्यालय गैर शैक्षणिक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान का निम्नानुसार एरियर्स भुगतान किया गय –

<u>दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2017</u> –

| | | |
|---|---|---|
| अधिकारी एवं तृतीय वर्ग कर्मचारी – | नगद भुगतान – | 1,20,17,509.00 |
| | आयकर – | 10,15,170.00 |
| | भविष्य निधि – | 14,37,665.00 |
| चतुर्थ वर्ग – | नगद भुगतान – | 51,51,647.00 |
| | भविष्य निधि – | 5,72,405.00 |
| | **योग –** | **2,01,94,395.00** |

<u>दिनांक 01.07.2018 से 31.08.2018</u> –

| | | |
|---|---|---|
| अधिकारी, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी– | नगद भुगतान – | 24,24,438.00 |
| | भविष्य निधि – | 2,69,382.00 |
| | **योग –** | **26,93,820.00** |

(iv) माननीय कार्यपरिषद् द्वारा दिनांक 12.11.2021 की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र एफ 5–1/2021/38–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06.10.2021 को अंगीकृत किया गया था।

(v) माननीय कार्यपरिषद् से अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा से तदानुसार वेतन निर्धारण के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 17.11.2021 को भुगतान किया गया।

अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

4. **श्री परदेशी राम भोई, कनिष्ठ अधीक्षक के सेवा में बहाली पश्चात् वेतन का नियमन किए जाने के फलस्वरूप वेतन की राशि रु. 5560790.00 (रुपए पचपन लाख साठ हजार सात सौ नब्बे मात्र) के भुगतान पर विचार करना।**

<u>टीप</u> :

i. श्री परदेशी राम भोई को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 2879/सामा.प्रशा./2021 रायपुर दिनांक 13.09.2021 से विश्वविद्यालय सेवा में बहाल किया गया।

ii. श्री भोई को उनके अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिनांक 16.10.2008 के पूर्व की स्थिति से बहाल किया गया है।

iii. श्री भोई को 16.10.2008 से कार्यभार ग्रहण करने तक पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाना है।

iv. श्री भोई को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में दिनांक 15.09.2020 से देय वेतन पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित वेतन का भुगतान किया जाना है।

v. श्री भोई का 16.10.2008 से कार्यभार ग्रहण करने तक का कुल वेतन अंतर की राशि रु. 55,60,790.00 (रुपए पचपन लाख साठ हजार सात सौ नब्बे मात्र) का भुगतान किया जाना है।

vi. वेतन अंतर की राशि का 30 प्रतिशत आयकर एवं 12 प्रतिशत भविष्य निधि में नियमानुसार कटौती किया जाना है।

5. **स्व. श्री बंशी लाल टेकाम, प्रथम श्रेणी लिपिक, वित्त विभाग के आकस्मिक निधन होने के कारण सी.पी.एस. खाता से राशि रु. 7,29,250.00 (रुपए सात लाख उंतीस हजार दो सौ पचास मात्र) का अंतिम भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्व. श्री बंशी लाल टेकाम, प्रथम श्रेणी लिपिक, वित्त विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप सी.पी.एस. खाता का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,29,250.00 (रुपए सात लाख उंतीस हजार दो सौ पचास मात्र) भुगतान किया जा चुका है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

6. **श्री नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त भृत्य, नामांकन विभाग सी.पी.एफ. खाता का अंतिम भुगतान राशि रु. 6,54,799.00 (रुपए छः लाख चौवन हजार सात सौ निन्यानवे मात्र) खाता से राशि का अंतिम भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : श्री नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त भृत्य, नामांकन विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एस. खाता का अंतिम भुगतान राशि रु. 6,54,799.00 (रुपए छः लाख चौवन हजार सात सौ निन्यानवे मात्र) भुगतान किया जा चुका है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

<u>एन.सी.एन.आर. से प्राप्त प्रस्ताव</u> :-

7. **एन.सी.एन.आर. विभाग में स्थापित एन.एम.आर. मशीन के लिए रु. 5,15,424=00 (रुपए पाँच लाख पंद्रह हजार चार सौ चौबीस मात्र) की हीलियम की खरीदी के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : 1. एन.सी.एन.आर. विभाग में स्थापित एन.एम.आर. मशीन के सफल व सुचारू संचालन के लिए हर साल कम से कम 200 लीटर हीलियम की आवश्यकता होती है।

2. हीलियम, मशीन के सफल संचालन के लिए मशीन में स्थापित चुंबक के तापमान को बनाए रखता है।

3. हीलियम मेसर्स ब्रूकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा ही ब्रुकर एन.एम.आर. मशीन में आपूर्ति और रिफिल किया जाता है, जो संबंधित मशीन का निर्माता और वितरक भी है।

4. इसकी खरीद की अनुमानित लागत रु. 5,15,424=00 (रुपए पाँच लाख पंद्रह हजार चार सौ चौबीस मात्र) है, जो मेसर्स ब्रूकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा प्रदान किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. **डॉ. विशाल जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान के अवकाश स्वीकृति के 159 दिनों के संबंध में विचार करना।**

टीप : डॉ. विशाल जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने दिनांक 06.05.2021 से 11.10.2021 तक 159 दिनों के चिकित्सा अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं।

उपरोक्त के संबंध में लेख है कि डॉ. विशाल जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर के अवकाश लेखा में 260 HPL एवं 140 दिन अर्जित अवकाश की पात्रता है। नियमानुसार इन्हें निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है :–

दिनांक 06.05.2021 से 12.09.2021 तक 130 दिन लघुकृत अवकाश (260 HPL)

दिनांक 13.09.2021 से 11.10.2021 तक 29 दिन अर्जित अवकाश

विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 54(स) के क्रमांक 3 के अनुसार "समस्त प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति के संबंध में तीन माह से अधिक अवधि के लिए कार्यपरिषद् से स्वीकृति लिए जाने का प्रावधान है।"

चूँकि डॉ. विशाल जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ने तीन माह (90 दिन) से अधिक 159 दिनों तक चिकित्सा अवकाश पर रहे हैं।

अतः डॉ. विशाल जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान को पात्रता अनुसार (दिनांक 06.05.2021 से 12.09.2021 तक 130 दिन लघुकृत अवकाश (260 HPL) एवं दिनांक 13.09.2021 से 11.10.2021 तक 29 दिन अर्जित अवकाश) कुल 159 दिन अवकाश स्वीकृति के संबंध में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. **विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति के लिए दो सदस्यों के नामांकन के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति के लिए संशोधित परिनियम क्रमांक–03 के बिंदु क्रमांक–05 के तहत माननीय कार्यपरिषद् के द्वारा दो सदस्यों को नामांकित किया जाना है, जो माननीय सदस्यों में से दो हो सकते हैं अथवा बाहर से नामांकित किए जा सकते हैं।

10. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार

25.11.21

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 483/अका./का.प/2021 रायपुर, दिनांक 25/11/2021

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (अका.)

# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607




क्रमांक : 217 /अका./का.प/2021 रायपुर, दिनांक 13/10/2021

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की साठवीं बैठक मंगलवार, दिनांक 12.10.2021 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

**प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा | – सदस्य | 9. | डॉ. ममता शर्मा | – सदस्य |
| 2. | डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव | – सदस्य | 10. | डॉ. समीर ठाकुर | – सदस्य |
| 3. | डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश | – सदस्य | 11. | श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | – सदस्य |
| 4. | डॉ. सी.डी. अगाशे | – सदस्य | 12 | श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का | – सदस्य |
| 5. | डॉ. शैलेन्द्र सराफ | – सदस्य | 13. | डॉ. अमिताभ पांडे | – सदस्य |
| 6. | डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल | – सदस्य | 14. | डॉ. एम.एल. नायक | – सदस्य |
| 7. | डॉ. भजन सिंह छाबड़ा | – सदस्य | 15. | श्री सोनऊ राम नेताम | – सदस्य |
| 8. | डॉ. के.एन. शर्मा | – सदस्य | 16. | श्री सत्यनारायण शर्मा | – सदस्य |

**डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव**

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.08.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

**निर्णय : संपुष्टि की गई।**

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.08.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

**निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।**

<u>अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

3. अर्थशास्त्र अध्ययनशाला में संचालित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (अर्थमिति एवं गणितीय अर्थशास्त्र) की फीस सत्र 2021–22 से रुपए 5000/– (रुपए पाँच हजार मात्र) के स्थान पर रुपए 2500/– (रुपए दो हजार पाँच सौ मात्र) किए जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **अर्थशास्त्र अध्ययनशाला में संचालित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (अर्थमिति एवं गणितीय अर्थशास्त्र) की फीस सत्र 2021–22 से रुपए 5000/– (रुपए पाँच हजार मात्र) के स्थान पर रुपए 2500/– (रुपए दो हजार पाँच सौ मात्र) किए जाने की सूचना ग्रहण की गई।**

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

4. स्व. श्री प्रफुल्ल कुमार शुक्ला, प्रथम श्रेणी लिपिक, परीक्षा विभाग की सी.पी.एफ. राशि रुपए 11,68,659.00 (रुपए ग्यारह लाख अड़सठ हजार छः सौ उनसठ मात्र) के अंतिम भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **स्व. श्री प्रफुल्ल कुमार शुक्ला, प्रथम श्रेणी लिपिक, परीक्षा विभाग की सी.पी.एफ. राशि रुपए 11,68,659.00 (रुपए ग्यारह लाख अड़सठ हजार छः सौ उनसठ मात्र) के अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

5. छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के पत्र क्र. 583/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार दिनांक 17.09.2021 वित्त निर्देश 24/2021 द्वारा महंगाई भत्ते की 01.07.2021 से जारी किश्त को विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए लागू करने एवं तद्नुरूप किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

**निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के पत्र क्र. 583/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार दिनांक 17.09.2021 वित्त निर्देश 24/2021 द्वारा महंगाई भत्ते की 01.07.2021 से जारी किश्त को विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए लागू करने एवं तद्नुरूप किए गए भुगतान का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।**

6. डॉ. एन.के. बाघमार, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 31,11,237.00 (रुपए इकत्तीस लाख ग्यारह हजार दो सौ सैंतीस मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

**निर्णय : डॉ. एन.के. बाघमार, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 31,11,237.00 (रुपए इकत्तीस लाख ग्यारह हजार दो सौ सैंतीस मात्र) के भुगतान का अनुमोदन किया गया।**

7. डॉ. एन.के. बाघमार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला का 220 दिनों के अवकाश नगदीकरण के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

**निर्णय : डॉ. एन.के. बाघमार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला का 220 दिनों के अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रु. 16,39,381.00 (रुपए सोलह लाख उनचालिस हजार तीन सौ इक्यासी मात्र) के भुगतान का अनुमोदन किया गया।**

8. डॉ. सुशील कुमार इंदुरकर, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान के चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : डॉ. सुशील कुमार इंदुरकर, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि रुपए 5,72,185/– (रुपए पाँच लाख बहत्तर हजार एक सौ पच्यासी मात्र) के भुगतान का अनुमोदन किया गया।**

9. विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने एवं धारणाधिकार समाप्ति करने के फलस्वरूप कार्यमुक्त होने पर सी.पी.एफ. की अंतिम भुगतान राशि रुपए 13,10,703.00 (रुपए तेरह लाख दस हजार सात सौ तीन मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने एवं धारणाधिकार समाप्ति के फलस्वरूप कार्यमुक्त होने वाले निम्नलिखित कर्मचारियों का सी.पी.एफ. राशि रुपए 13,10,703.00 (रुपए तेरह लाख दस हजार सात सौ तीन मात्र) का अंतिम भुगतान किए जाने का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :–**

| क्र. | नाम/पद नाम | धारणाधिकार अवधि/सेवानिवृत्त दिनांक | अधिवार्षिकी/ धारणाधिकार | सी.पी.एफ. राशि का अंतिम भुगतान |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री विवेक तिवारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर | 05.07.2020 | धारणाधिकार समाप्त | 5,87,137.00 |
| 2. | श्री संतोष कुमार गोड़, कक्ष अधिकारी | 31.07.2021 | अधिवार्षिकी | 3,30,174.00 |
| 3. | श्री दिलीप कुमार गोस्वामी, द्वि.श्रे.लि. | 31.08.2021 | अधिवार्षिकी | 3,93,392.00 |
| | | | योग – | 13,10,703.00 |
| | | | | (रुपए तेरह लाख दस हजार सात सौ तीन मात्र) |

10. डॉ. रामानुज शर्मा, सेवानिवृत्त टेक्नीकल असिस्टेंट की सी.पी.एफ. राशि रुपए 11,08,139.00 (रुपए ग्यारह लाख आठ हजार एक सौ उनचालीस मात्र) के अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

**निर्णय : डॉ. रामानुज शर्मा, सेवानिवृत्त टेक्नीकल असिस्टेंट की सी.पी.एफ. राशि रुपए 11,08,139.00 (रुपए ग्यारह लाख आठ हजार एक सौ उनचालीस मात्र) के अंतिम भुगतान की सूचना ग्रहण की गई।**

11. स्व. श्री अमर कुमार हरबंश, डाटा एंट्री आपरेटर, पं. सुंदर लाल शर्मा ग्रंथागार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की सी.पी.एफ. राशि रुपए 6,49,178.00 (रुपए छः लाख उनचास हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) के अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

**निर्णय : स्व. श्री अमर कुमार हरबंश, डाटा एंट्री आपरेटर, पं. सुंदर लाल शर्मा ग्रंथागार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की सी.पी.एफ. राशि रुपए 6,49,178.00 (रुपए छः लाख उनचास हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) के अंतिम भुगतान की सूचना ग्रहण की गई ।**

12. विश्वविद्यालय के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 14,22,482.00 (रुपए चौदह लाख बाईस हजार चार सौ बयासी मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

**निर्णय : विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकृत अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 14,22,482.00 (रुपए चौदह लाख बाईस हजार चार सौ बयासी मात्र) के भुगतान का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :–**

| स.क्र. | शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों का नाम | सेवानिवृत्ति तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. सी एल पटेल | 30.06.2019 | 739347.00 |
| 2 | श्री तीर्थराम यादव | 30.06.2021 | 418643.00 |
| 3 | श्री दिलीप गोस्वामी | 30.08.2021 | 264492.00 |
| | | कुलयोग | **14,22,482.00** |
| | (रुपए चौदह लाख बाईस हजार चार सौ बयासी मात्र) | | |

<u>विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पैरवी हेतु दो अधिवक्ताओं के नाम, विश्वविद्यालय अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित करने एवं प्रति प्रकरण पैरवी शुल्क रुपए 77000/– (रुपए सतहत्तर हजार मात्र) प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पैरवी हेतु निम्नलिखित दो अधिवक्ताओं के नाम विश्वविद्यालय अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित करने एवं प्रति प्रकरण पैरवी शुल्क रुपए 77000/– (रुपए सतहत्तर हजार मात्र) प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया –

1. डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय,
2. श्री पद्मेश मिश्रा

(A)

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

14. विश्वविद्यालय के तीन कर्मचारियों को समूह बीमा की मृत्यु दावा राशि रुपए 9,37,851/– (रुपए नौ लाख सैंतीस हजार आठ सौ इंक्यावन मात्र) के भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

**निर्णय : विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों की कुल राशि रुपए 9,37,851 (रुपए नौ लाख सैंतीस हजार आठ सौ इंक्यावन मात्र) को संबंधित कर्मचारियों के नामिनी को किए गए भुगतान की सूचना ग्रहण की गई –**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | स्व. श्री टामकर प्रसाद जोशी, लैब टेक्नीशियन<br>(नामांकन – श्रीमती शकुन्तला जोशी – धर्मपत्नी) | रु. 4,15,349=00 |
| 2. | स्व. श्री बंशी लाल टेकाम, प्र.श्रे.लि.<br>(नामांकन – श्रीमती पूर्णिमा टेकाम – धर्मपत्नी) | रु. 3,26,391=00 |
| 3. | स्व. श्री जनक दास मानिकपुरी, लेब अटेंडेंट<br>(नामांकन – श्रीमती मंजुला मानिकपुरी – धर्मपत्नी) | रु. 1,96,111=00 |
| | **कुल** | **रु. 9,37,851=00** |
| | (रुपए नौ लाख सैंतीस हजार आठ सौ इंक्यावन मात्र) | |

15. विश्वविद्यालयीन चिकित्सा अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु को 62 से 65 वर्ष किए जाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियम के संदर्भ में शासन से स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त किया जाए।**

<u>बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

16. नवाचार और स्टार्ट–अप नीति (Innovation & Startup Policy) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में लागू करने एवं अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : नवाचार और स्टार्ट–अप नीति (Innovation & Startup Policy) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में लागू करने का अनुमोदन किया गया।**

<u>विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

17. छात्रावास फर्नीचर क्रय देयक रु. 11,16,733.00 (रुपए ग्यारह लाख सोलह हजार सात सौ तैंतीस मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

**निर्णय : केंद्रीय कारागार दवारा 114 नग तखत, 225 नग स्टुडेंट टेबल एवं 295 नग स्टुडेंट चेयर आपूर्ति किया गया है, तथा सामग्री आपूर्ति पश्चात् प्रस्तुत देयक राशि रु. 11,16,733.00 (रुपए ग्यारह लाख सोलह हजार सात सौ तैंतीस मात्र) के भुगतान हेतु अनुमोदन किया गया।**

## <u>पूरक विषयसूची</u>

1. विश्वविद्यालय विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 07.10.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक एफ 5–1/2021/38–2 दिनांक 06.10.2021 एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 445/159/आउशि/वि.वि.अनु./2021 दिनांक 06.10.2021 के द्वारा विश्वविद्यालयीन गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 का लाभ दिए जाने की सहमति प्रदान की गई है। कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक एफ 5–1/2021/38–2 दिनांक 06.10.2021 एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 445/159/आउशि/वि.वि.अनु./2021 दिनांक 06.10.2021 के अनुसार विश्वविद्यालयीन गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 का लाभ दिए जाने का अनुमोदन किया गया।**

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

3. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 24.08.2021 के निर्णयानुसार शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता अस्थाई रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

4. विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण हेतु प्राक्कलन राशि रुपए 12,54,274/– (रुपए बारह लाख चौवन हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण हेतु प्राक्कलन राशि रुपए 12,54,274/– (रुपए बारह लाख चौवन हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई एवं निविदा आमंत्रित किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

1. डॉ. अलेख कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर (निलंबित), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के निलंबन की समाप्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **माननीय उच्च न्यायालय के आदेश WPS No. 4107/2021 डॉ. अलेख कुमार साहू विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य पर दिनांक 11.08.2021 को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय के संदर्भ में डॉ. अलेख कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर (निलंबित) के प्रकरण में निलंबन को समाप्त किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

2. माँ बंजारी देवी मंदिर के निर्माण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **माँ बंजारी देवी मंदिर के नव–निर्माण के संकल्प का अनुमोदन किया गया।**

## वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव

3. अंकेक्षण वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अनंतिम प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 (अंकेक्षण वर्ष 2013–14) भाग– तीन प्रतिवेदन में शामिल आपत्ति क्रमांक (8, 10, 13, 14, 15, 17, 25, 33) के पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।**

4. विश्वविद्यालय की 'कॉरपस फंड समिति' की बैठक दिनांक 27.09.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय : विश्वविद्यालय की 'कॉरपस फंड समिति' की बैठक दिनांक 27.09.2021 का कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

## नामांकन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

5. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को सत्र 2019–20 की नामांकन क्रमांक प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को सत्र 2019–20 के नामांकन क्रमांक प्रदान करने के प्रकरण को विशेष प्रकरण तथा भविष्य में उदाहरण नहीं मानते हुए एवं पुनरावृत्ति न किए जाने की शर्त पर छात्रहित में विलंब शुल्क में छूट प्रदान कर नामांकन जारी करने का अनुमोदन किया गया।**

## यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

6. विश्वविद्यालय परिसर के पं. रविशंकर शुक्ल मूर्ति चौक के पास गार्डन की ओर हाई वोल्टेज एल.ई.डी. फ्लड लाईट, पोल सहित लगाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर के पं. रविशंकर शुक्ल मूर्ति चौक के पास गार्डन की ओर हाई वोल्टेज एल.ई.डी. फ्लड लाईट, पोल सहित लगाने हेतु अनुमानित व्यय राशि रुपए 10,56,711/– (रुपए दस लाख छप्पन हजार सात सौ ग्यारह मात्र) का अनुमोदन किया गया।**

## विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान से संबंधित प्रस्ताव

7. फार्मेसी संस्थान में पाँच माड्यूल लैब के निर्माण के लिए कुल व्यय लगभग रु. 30.00 लाख (रुपए तीस लाख मात्र) के व्यय हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करना।

**निर्णय : फार्मेसी संस्थान में पाँच माड्यूल लैब के निर्माण के लिए कुल व्यय लगभग रु. 30.00 लाख (रुपए तीस लाख मात्र) के व्यय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।**

8. फार्मेसी संस्थान में पाँच माड्यूल लैब के निर्माण के लिए अनुमानित व्यय रु. 30.00 लाख (रुपए तीस लाख मात्र) के व्यय हेतु प्रावधान में अतिरिक्त प्रावधान करने हेतु विचार करना।

**निर्णय : फार्मेसी संस्थान में पाँच माड्यूल लैब के निर्माण के लिए अनुमानित व्यय रु. 30.00 लाख (रुपए तीस लाख मात्र) के व्यय हेतु प्रावधान में अतिरिक्त प्रावधान की राशि को फार्मेसी संस्थान के मद से अतिरिक्त बजट के प्रावधान का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

| | |
|---|---|
| कुलपति<br>अध्यक्ष | कुलसचिव<br>सचिव |

पृ. क्रमांक : 218/अका./का.प/2021 रायपुर, दिनांक 13/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)